Fuel Burner Technology Developed by IIP

2476. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether the Indian Institute of Petroleum (IIP) has developed a multi-fuel burner technology for furnaces which helps in recurring savings of fuel oil;

(b) if so, the details of the technology developed; and

(c) the quantity and value of furnace oil likely to be saved every year?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) and (b) Yes, Sir. The Indian Institute of Petroleum has developed a new technology of multi-fuel burner for furnaces capable of saving 15 to 25 percent of fuel oil over the existing burners. This is based on a new concept called Low Air Pressure Film Burner and can be operated on fuel oil or on Natural Gas, or on both.

(c) A furnace using 100 Kg/hr. of fuel can save about 4,500 Kg of fuel worth Rs. 23000 (approx.) annually. There are about 2,000 burners of this design in operation now.

भोपाल में बदतर हो रही डाक वितरण प्रणाली

2477. **श्री अजीत जोगी:**
श्री मूलचन्द मीणा:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में और अन्य स्थानों में डाक वितरण प्रणाली खराब हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन स्थानों पर डाक सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों में डाक वितरण प्रणाली के स्तर को कायम रखा गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डाक के प्रषेण में सुधार लाने के लिए डाकघरों में डाक की और अधिक विस्तार से छंटाई की जाती है। जहां तक काउंटर सेवाओं का संबंध है, बेहतर ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए डाकघरों को चरणबद्ध रूप में आधुनिक बनाया जा रहा है और पी सी आधारित काउंडर मशीनें लगाई जा रही हैं।

देश में अवैध प्रवासी

2478. **श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए अवैध प्रवासी (अधिकारणों का अवधारण) अधिनियम, 1983 के अंतर्गत कई अधिकरणों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अधिकरणों द्वारा अब तक कितने अवैध प्रवासियों का पता लगाया गया है;

(घ) इनमें से कितने व्यक्तियों को स्वदेश वापस भेजा गया है; और

(ङ) 31 अक्तूबर, 1995 की स्थिति के अनुसार ऐसे प्रवासियों की राज्यवार वास्तविक संख्या का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी): (क) से (ङ) अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 के अधीन, असम राज्य में 16 अवैध प्रवासी (अवधारण) न्यायाधिकरण तथा एक अवैध प्रवासी (अवधारण) अपीलीय अधिकरण कार्यरत हैं।

असम सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार अक्तूबर, 1995 तक, इस अधिनियम के तहत 2,90,159 जांच शुरू की गई। इनमें से 2,89,078 मामलों में आवश्यक पूछताछ करने के बाद 2,86,688 मामलों को संवीक्षा समिति को भेज दिया गया तथा 26,130 मामलों को न्यायाधिकरणों को भेज दिया गया। न्यायाधिकरणों द्वारा 13,661 मामलों का